POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 फरवरी, 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हम मिलकर विकसित भारत 2047 का सपना साकार करेंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, ढांचागत विकास एवं सहकारिता के सुदृढ़ीकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में प्रदेश को कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाने का लक्ष्य तय किया है। जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से कृषि उत्पादन को 40 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है।

औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगे। केंद्र सरकार के बजट के अनुरूप राज्य सरकार भी बजट में कृषि व ग्रामीण विकास को खास महत्व देगी। कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान इनोवेशन और डिजिटल गवर्नेंस का केंद्र भी बन रहा है। जिससे कई सकारात्मक परिणाम आएंगे।

अकसर देखा गया है कि सरकारें बजट में जनता को जो सपना दिखाती है उसे सही रूप व पूरी तरह धरातल पर उतारने में ढिलाई बरतती है। हाल ही राज्यों की लेखा रिपोर्टों से इसका खुलासा हुआ है। मसलन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में तय होने के बावजूद परिसंपत्ति निर्माण पर पूंजीगत खर्च करने में ढिलाई से सरकारों के सुशासन पर सवाल खड़े हुए हैं।

इस ढिलाई से आम लोगों को समय पर सुविधाएं मिलना दूर की कौड़ी हो गई। राजस्थान में शुरुआती छह माह में कुल बजट का केवल 22.20 फीसदी पूंजीगत खर्च हुआ। जिससे जरुरतमंदों को समय पर रोजगार व सुविधाएं नहीं मिल पाई।

राष्ट्रपति ने मनरेगा के स्थान पर नए विधेयक को दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा के स्थान पर संसद में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के साथ ही यह विधेयक गांवों में सालाना 125 दिन की रोजगार गारंटी का नया कानून बन गया है। यह कानून मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। माना जा रहा है कि इससे ग्रामीण आजीविका सुरक्षा मजबूत होगी और यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

खास बात यह है कि अब वीबी-जी रामजी में ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। रोजगार का हक भी पहले से मजबूत हुआ है। समय पर भुगतान अनिवार्य है, देरी होने पर मुआवजा देने का भी प्रावधान कानून में है। पहले मनरेगा में यह सीमा 100 दिन के रोजगार की थी। मोदी सरकार का दावा है कि देश की ग्रामीण रोजगार नीति के नए दौर के लिए नया कानून बनाया है। यह विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। गांवों में रोजगार के साथ मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचा बनेगा जिससे मनरेगा की गड़बड़ियां रुकेंगी और गांवों का एक समान विकास हो सकेगा।

विक्रेता को भारी पड़ा किसान को घटिया बीज बेचना

जयपुर जिले के चौमूं निवासी किसान सीताराम व अन्य ने जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में बीज विक्रेता मैसर्स टाकी सीड्स इंडिया एवं मैसर्स सेठिया इंटरप्राइजेज के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया।

मामले के अनुसार परिवादी किसान सीताराम व अन्य ने विक्रेता फर्म से 7,000 रुपए में तरबूज के बीज खरीदे थे। उन्होंने इन बीजों से खेत में बुवाई की। इसके बाद बुवाई सहित अन्य कामों में उनके 82,850 रुपए खर्च हुए। लेकिन तरबूज की पूरी फसल खराब हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान वहन करना पड़ा। जांच में बीज घटिया पाए गए।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बीज विक्रेता मैसर्स टाकी सीड्स इंडिया एवं मैसर्स सेठिया इंटरप्राइजेज का सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता को बीज की बुवाई सहित अन्य कार्यों में खर्च हुए 82,850 रुपए परिवादी किसान सीताराम व अन्य को ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। साथ ही उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता फर्म को किसान को हुई परेशानी के एवज में 65 हजार रुपए का हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2025

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 44 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है'

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2025 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

<u>प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2026 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।</u>

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395
ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

'लखपति दीदी' बन रही उभरती पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजीविका हमारी बहनों के सशक्तीकरण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की अहम कड़ी के साथ ही गांवों में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन रहा है। सरकार का संकल्प है कि 'हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार' मिले।

जयपुर में लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लखपति दीदियां अग्रणी राजस्थान की उभरती हुई पहचान बन चुकी है और अगला लक्ष्य मिलेनियर बनना है। इसमें राजीविका सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। अब तक प्रदेश में 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

मनरेगा में सामने आई कई गड़बड़ियां

केंद्र सरकार ने मनरेगा की जमीनी हकीकत जानने के लिए 25 राज्यों के 55 जिलों में जब औचक जांच कराई, तो जांच में 11 लाख 04 हजार 627 वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। इस दौरान तीन अरब रुपए से अधिक की राशि हड़पने का खेल सामने आया।

घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार को तत्काल रिकवरी के निर्देश जारी करने पड़े। अब तक 302.45 करोड़ रुपए में से 273 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी है। इससे साफ है कि गरीबों के रोजगार व हक की रकम को लूटा गया। योजना की हकीकत जानने के लिए 55 जिलों में एक हजार से अधिक स्थानों पर टीमें भेजी गई थीं।

परियोजनाओं की होगी पूरी निगरानी

प्रदेश में अब बिना स्वतंत्र जांच के कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार निगरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश में 12 प्रकार के बड़े विकास कार्यों पर पहली बार थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल अनिवार्य किया जा रहा है।

इस व्यवस्था के दायरे में 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक लागत वाले सभी प्रोजेक्ट शामिल होंगे। स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी देश की जानी-मानी एजेंसियों को सौंपी जाएगी। इसके लिए गोपनीय कार्य प्रणाली तय होगी। एजेंसियां परियोजना की शुरुआत से लेकर निर्माण पूरा होने तक समय-समय पर गहन निरीक्षण करेंगी। इससे विकास कार्यों में गुणवत्ता बढ़ेगी और विकास को बल मिलेगा।

प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू

राज्य में 15 अप्रैल से पहले चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। आयोग ने सभी जिला कलक्टरों को आदेश जारी कर पंचायत समितियों में शीघ्र रिटर्निंग ऑफीसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफीसर (एआरओ) की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया है। इस बार होने वाला पंचायत चुनाव राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। वजह... 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पंचायत समितियों की संख्या भी 25 प्रतिशत बढ़ी है।

अस्पतालों में होंगे जनऔषधि केंद्र

राज्य सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र शुरू करने का फैसला लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस निर्णय से इमरजेंसी दवा सूची के बाहर की कई जरूरी जेनरिक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

विभागीय आदेश के अनुसार, जन औषधि केंद्रों के संचालन में केंद्र सरकार की योजना के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा ने हाल ही में राज्य के चिकित्सा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जिला अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए थे।

नई युवा नीति : खुलेंगे रोजगार के रास्ते

युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीन युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 लागू करने की घोषणा करते हुए एक लाख पदों पर भर्तियों का कलेंडर जारी किया। उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

नई नीति के तहत कौशल विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार किया जाएगा। जिससे रोजगार के नए-नए रास्ते खुलेंगे। स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को करोबार शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। रोजगार और उद्यमशीलता पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

दिव्यांगता सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त कार्मिकों की पुनः दिव्यांगता जांच के आदेश के बाद से खलबली मच गई है। इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत 15 हजार से अधिक दिव्यांग कार्मिकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है।

हाल ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता सर्टिफिकेट से जुड़े कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। कार्मिकों को आशंका है कि दिव्यांगता में मामूली कमी भी उनकी पात्रता पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है। पहले मेडिकल बोर्ड केवल भौतिक परीक्षण के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करते थे, जबकि अब आधुनिक मशीनों और तकनीकी उपकरणों से जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों को कहना है कि दिव्यांगता की पुनः जांच कराने के बजाय फर्जी सर्टिफिकेट की जांच करानी चाहिए।

महिला किसानों को मुफ्त बीज किट

राजस्थान सरकार की बीज मिनी किट योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। कृषि और सिंचाई विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत कृषक परिवार की महिला सदस्य को मुफ्त बीज मिनी किट उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमांत किसानों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले किसान परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए कृषक परिवार को अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा। कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर पात्र महिलाओं की सूची तैयार करता है।

एमएसएमई: नीति आयोग की सिफारिश

नीति आयोग ने एमएसएमई कंपनियों की दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को एकसाथ जोड़ने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एमएसएमई से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं में आपसी तालमेल की कमी है।

इससे योजनाओं का पूरा फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग मंत्रालय और विभाग एमएसएमई के लिए योजनाएं चला रहे हैं। कई योजनाओं के उद्देश्य एक जैसे हैं-जैसे कर्ज, मदद, कौशल प्रशिक्षण, मार्केटिंग व तकनीकी सहयोग आदि। क्योंकि ये योजनाएं अलग-अलग चलाई जाती है इसलिए पैसा और संसाधन बिखर जाते हैं। इससे योजनाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

महता केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य मनोनीत

कट्स इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप महता को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री महता को तीसरी बार इस महत्वपूर्ण सलाहकार समिति में शामिल किया गया है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की यह सलाहकार समिति देश के विद्युत क्षेत्र से जुड़े नीतिगत, नियामक एवं उपभोक्ता हितों से संबंधित विषयों पर आयोग को परामर्श प्रदान करती है। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि एवं संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर